भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1592
29 जुलाई, 2022 को जवाब दिया

वस्त्र निर्यात

1592. श्री नीरज डांगी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत से होने वाले वस्त्र निर्यात का, वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उद्योग को वस्त्र निर्यात में चुनौतियों का सामाना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन चुनौतियों को किस प्रकार दूर किया जा रहा है और निर्यात क्षेत्र में वृद्धि को लेकर किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से वस्त्र और अपैरल निर्यात का विवरण इस प्रकार है:

(बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

वस्तु	2019-20	2020-21	2021-22
भारत का वस्त्र और अपैरल निर्यात	33.38	29.88	42.35

स्रोत: डीजीसीआईएस अनंतिम डेटा

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से वस्त्र और अपैरल निर्यात का देश-वार विवरण इस प्रकार है:

(बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र. स.	देश	2019-20	2020-21	2021-22
1	यू एस ए	8.09	7.68	11.02
2	ईयू -27	6.46	5.56	7.43
3	बांग्लादेश	2.15	2.13	5.17
4	यूएई	2.17	2.06	2.46
5	यूके	2.07	1.55	2.02
6	चीन	1.01	1.45	1.46
7	टर्की	0.59	0.45	0.91
8	श्री लंका	0.62	0.54	0.84
9	वियतनाम	0.31	0.48	0.63
10	ऑस्ट्रेलिया	0.43	0.48	0.58
	शेष विश्व*	9.48	7.50	9.83
	कुल	33.38	29.88	42.35

स्रोत: डीजीसीआईएस अनंतिम डेटा, *शेष विश्व

(ख) से (घ): भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, श्रीलंका आदि जैसे पड़ोसी प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में ईयू, यूके आदि जैसे कुछ बाजारों में प्रशुल्क अलाभ का सामना कर रहा है। इससे निपटने के लिए सरकार ने यूएई एवं आस्ट्रेलिया के साथ मुक्त करार किया है और राष्ट्रीय हित और घरेलू संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वस्त्र सहित भारतीय उत्पादों की बाजार पहुंच को बढ़ाने के लिए यूके, ईयू, इजराइल और कनाडा के साथ बातचीत भी शुरू की है। इसके अलावा, इसने जापान, कोरिया और आसियान के साथ मौजूदा एफटीए की समीक्षा करनी भी शुरू की है।

वस्त्र उत्पादों को समान अवसर प्रदान करने के लिए, सरकार ने परिधान/वस्त्रों (अध्याय-61 और 62) और मेड-अप्स (अध्याय-63) के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6946 करोड़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7641 करोड़ रूपये और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8405 करोड़ रूपये के बजट परिव्यय के साथ दिनांक 31 मार्च 2024 तक जारी रखा है। अन्य वस्त्र उत्पाद (अध्याय 61, 62 और 63 को छोड़कर) जो आरओएससीटीएल के तहत शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और कर छूट (आरओडीटीईपी) के तहत अन्य उत्पादों के साथ शामिल किया गया है। अध्याय 61, 62 तथा 63 के तहत उत्पादों का निर्यात करने वाले सभी निर्यातक, आरओएससीटीएल के तहत लाभ हेतु पात्र हैं।

देश में एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने पांच वर्षों की अवधि के लिए 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ वस्त्र के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2027-28 तक की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्लग एंड प्ले सुविधा सहित विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइटों में 7 (सात) पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। यह योजना वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा विकसित करने के लिए है। यह लॉजिस्टिक लागत को कम करेगा और भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा।

सरकार, अपनी बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना के तहत विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, जो व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और भाग लेने के लिए वस्त्र और वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के समय, वैश्विक बाजारों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए ईपीसीएस द्वारा विपणन के एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में वर्चुअल प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया।

*****